

AGRICULTURE FINANCE
INTEREST RATE STRUCTURE FOR AGRICULTURE LOANS
FOR DIRECT & INDIRECT FINANCE
Effective from 01-03-2010

SHORT TERM LOANS – (AMOUNT UPTO Rs.25.00 LACS)

Size of Credit Limit	ROI at BPLR 12.25% (P.A.)
Upto Rs. 50,000/-	3.25% below BPLR i.e. 9.00% p.a.
Above Rs.50,000/- and upto Rs.2.00 lacs	2.25% below BPLR i.e. 10.00% p.a.
Above Rs.2.00 lacs and upto Rs.3.00 lacs	1.50% below BPLR i.e. 10.75% p.a.
Above Rs.3.00 lacs and upto Rs.5.00 lacs	0.50% below BPLR i.e. 11.75% p.a.
Above Rs.5.00 lacs and upto Rs.25.00 lacs	0.50% above BPLR i.e. 12.75% p.a.

SHORT TERM LOANS – (AMOUNT ABOVE Rs.25.00 LACS)

CRA Rating	ROI at BPLR 12.25% (P.A.)
SB 1-2	BPLR i.e. 12.25 %p.a.
SB 3-5	0.75% above BPLR i.e. 13.00 %p.a.
SB 6-7	1.25% above BPLR i.e. 13.50 %p.a.
SB 8-16	1.50% above BPLR i.e. 13.75 %p.a.

Note:

1. Crop loans/ production loans upto Rs. 3.00 lacs will be charged @7% p.a. on eligible accounts, as per directives of RBI. In all other cases normal rate of interest as stated above will be applicable. Additional concession of 1% in rate of interest will also be available to prompt paying farmers.

2. However, in respect of individual farmers availing loans above Rs. 25.00 Lacs for Direct agricultural advances credit rating norms are waived. For these borrowers proposed rate of interest is 0.50 % above BPLR (i.e. 12.75%).

AGRICULTURAL TERM LOANS

ATL – (Amount upto Rs.25.00 lacs)

Size of Credit Limit	ROI at BPLR 12.25% (P.A.)
Upto Rs. 50,000/-	1.75% below BPLR i.e. 10.50% p.a.
Above Rs.50,000/- and upto Rs.2.00 lacs	0.75% below BPLR i.e. 11.50% p.a.
Above Rs.2.00 lacs and upto Rs.5.00 lacs	BPLR i.e. 12.25% p.a.
Above Rs.5.00 lacs and upto Rs.25.00 lacs	1.00% above BPLR i.e. 13.25% p.a.

ATL – (Amount above Rs.25.00 lacs)

CRA Rating	Revised ROI at BPLR 12.25% (P.A.)
SB 1-2	0.50% above BPLR i.e. 12.75 %p.a.
SB 3-5	1.25% above BPLR i.e. 13.50 %p.a.
SB 6-7	1.75% above BPLR i.e. 14.00 %p.a.
SB 8-16	2.00% above BPLR i.e. 14.25 %p.a.

However, in respect of individual farmers availing loans above Rs. 25.00 Lacs for Direct agricultural advances credit rating norms are waived. For these borrowers proposed rate of interest is 0.75 % above BPLR (i.e. 13.00%).

(B) RATES UNDER SPECIAL SCHEMES**1. * FINANCE AGAINST WAREHOUSE RECEIPT ISSUED BY NATIONAL BULK HANDLING CORPORATION LTD (NBHC)**

Loans granted against warehouse receipts issued by NBHC falling under Priority Sector (i.e. Agriculture Segment)*

Loan size	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)
≤ 5 crores	Minimum 12.40 % P.A.
> 5 crores	Minimum 12.20 % P.A.

*Advance made against new warehouse receipts issued by NBHC to all existing and new borrowers upto 31.03.2010 will be eligible for concessional rate of interest as per H.O. circular no. ADV/AGR/73 dt. 15-01-2010.

2. (A) LOANS GRANTED UNDER TIE-UP ARRANGEMENT WITH MILKFED PUNJAB & HARYANA DAIRY DEVELOPMENT CORPORATION LTD., HARYANA.

Loan size	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
FOR LOANS UPTO Rs.50, 000/-	2.50 % below BPLR	9.75% P.A.
FOR LOANS ABOVE Rs.50, 000/- AND UPTO RS.2.00 LACS	2.00 % below BPLR	10.25% P.A.

2. (B) ESTABLISHMENT OF DAIRY UNIT OF 02 MILCH ANIMALS UNDER SCHEDULE CASTE SUB PLAN IN THE STATE OF PUNJAB.

Loan size	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
FOR LOANS UPTO Rs.50, 000/-	2.00 % below BPLR	10.25% P.A.

3. FINANCING COMMERCIAL DAIRY UNITS *

	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
WORKING CAPITAL (CC)	2.00% below BPLR	10.25 % P.A.
TERM LOAN (DL)	2.00% below BPLR	10.25 % P.A.

* A Further concession of 1.00% p.a. on regular repayments shall be granted on Term Loan only on yearly basis at the end of financial year on loans of those farmers whose repayment is regular during the year. In case of any default during currency of the loan, the concession already granted shall be withdrawn & no concession shall be granted in future.

4. NET HOUSE FOR VEGETABLE CULTIVATION APPLICABLE IN PUNJAB ONLY

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
Up to Rs. 50000/-	1.25 % below BPLR	11.00 % P.A.
Above Rs 50000/- and up to Rs 00.90 lacs	0.50 % below BPLR	11.75 % P.A.

5. ADVANCES UNDER DEBT SWAP SCHEME

NATURE OF CREDIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
TERM LOAN Max. Rs. 50000	1.25 % below BPLR	11.00 % P.A.

6. SCHEMES OF GOVERNMENT OF INDIA

6(i) CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME (CISS) FOR CONSTRUCTION/EXPANSION/MODERNIZATION OF COLD STORAGE AND STORAGE FOR HORTICULTURAL PRODUCE

NATURE OF CREDIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
Up to Rs. 2.00 lacs	BPLR	12.25 % P.A.
Above Rs. 2.00 lacs	1% p.a. above BPLR	13.25% P.A.

6(ii) CENTRAL SECTOR SCHEME FOR STRENGTHENING OF AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE, GRADING AND STANDARDISATION

NATURE OF CREDIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
TERM LOAN	BPLR	12.25 % P.A.

7. INDIRECT AGRICULTURAL ADVANCES TO AGENCIES PROVIDING INPUT SUPPORT

(7-i) LIMITS UPTO RS. 25.00 LACS

NATURE OF CREDIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
CASH CREDIT	2.25 % below BPLR	10.00 % P.A.
TERM LOAN	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.

(7-ii) WORKING CAPITAL/CASH CREDIT LIMITS ABOVE RS. 25.00 LACS (BASED ON CREDIT RATING)

RATING	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
SB 1	2.75 % below BPLR	9.50 % P.A.
SB 2	2.00 % below BPLR	10.25 % P.A.
SB 3	1.50 % below BPLR	10.75 % P.A.
SB 4 TO 16	1.25 % below BPLR	11.00 % P.A.

(7-iii) TERM LOANS ABOVE RS 25.00 LACS (BASED ON CREDIT RATING)

RATING	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
SB TL 1	2.25 % below BPLR	10.00 % P.A.
SB TL 2	1.50 % below BPLR	10.75 % P.A.
SB TL 3	1.00 % below BPLR	11.25 % P.A.
SB 4 TO 16	0.75 % below BPLR	11.50 % P.A.

8. SCHEME FOR FINANCING COMMISSION AGENTS/ARHTIAS AGAINST THEIR BOOK DEBTS/BROKERAGE

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
Up To Rs. 02.00 Lacs	1.00 % below BPLR	11.25 % P.A.
Above Rs. 02.00 Lacs and Up To Rs. 25.00 Lacs	BPLR	12.25 % P.A.

9. INDIRECT LOANS GIVEN THROUGH PRIMARY AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY (PACS)/ FARMER SERVICE SOCIETY (FSS)/LARGE SIZED ADIVASI/AGRICULTURAL MULTIPURPOSE SOCIETY (LAMPS)

(9-i) Short Term Loans

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)
UP TO RS. 25,000/-	7.00 % P.A.
ABOVE RS. 25,000/- AND UP TO RS. 3 LACS	7.00 % P.A.
ABOVE RS. 3 LACS	*10.25 % P.A. (2.00% below BPLR)

**Tier system (i) Up to Rs. 3.00 lacs: 7.00 % P.A.
(ii) Above Rs. 3.00 lacs: 10.25 % P.A. (2.00 % below BPLR)**

In respect of Indirect Loans given through PACS/FSS/LAMPS, the RBI has clarified that the banks should ensure that the ultimate borrower is charged an interest rate of not more than 7.00 % by PACS/FSS/LAMPS. As such in case PACS/FSS/LAMPS do not agree to charge interest @ 7.00 % from the farmer or not otherwise eligible under the Interest Subvention Scheme of GoI as the account becomes overdue, branches should charge normal rate of interest (i.e. 2.00 % below BPLR, presently effective rate is 10.25 % P.A.)

(9-ii) ATL

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
UP TO RS. 25,000/-	2.75 % below BPLR	9.50 % P.A.
ABOVE RS. 25,000/- AND UP TO RS. 2 LACS	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.
ABOVE RS. 2 LACS	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.

10. LOANS TO SELF HELP GROUPS

(10-i) (NON-SGSY/GENERAL /NABARD SCHEME SHGs)

SCHEME	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)
TL (SHG) SSI	<p>❖ UP TO RS 02.00 LACS 4% below BPLR i.e. 08.25 % P.A.</p> <p>❖ ABOVE RS 02.00 LACS AT BPLR i.e. 12.25 % P.A.</p>
TL (SHG) INDIRECT	
TL (SHG) SBF	
ATL (SHG) DIRECT	
ATL (SHG) INDIRECT	
ACC (SHG)	
CC (SHG) SSI	
CC (SHG) SBF	
SHG CREDIT CARD	
TL SHG SBF	
SHG GOLD CARD	
JLG ACC	
JLG ATL	

(10-ii) SGSY (SHG's)

SCHEME	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)
CC-SSI	❖ UP TO RS 02.00 LACS 4% below BPLR i.e. 08.25 % P.A. ❖ ABOVE RS 02.00 LACS AT BPLR i.e. 12.25 % P.A.
CC-SBF	
ACC	
TL SSI	
TL SBF	
ATL	

Note: Rate of interest on group loan under SGSY cases only is linked to the per capita size of the loan. For arriving at the per capita size of the loan, the total amount availed by the group is to be divided by the total no. of members in the group.

(10-iii)

CATEGORY	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A)	
INDIRECT LOANS UP TO RS. 25000/- TO NGOs/ MCOs/ VOLUNTARY AGENCIES	2.75 % below BPLR	9.50 % P.A.
INDIRECT LOANS ABOVE RS. 25000/- TO NGOs/ MCOs/ VOLUNTARY AGENCIES	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.

(10-iv) SGSY INDIVIDUAL**10-iv (a) SGSY INDIVIDUAL CC (SSI)**

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A.)	
Up to Rs.50,000/-	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.
Above Rs.50,000/- & up to Rs.2 lacs	0.75 % below BPLR	11.50 % P.A.
Above Rs.2 lacs & but up to Rs.5 lacs	BPLR	12.25 % P.A.
Above Rs.5 lacs & below Rs.25 lacs	0.25 % above BPLR	12.50 % P.A.

10-iv (b) SGSY INDIVIDUAL CC (SBF)

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25% P.A.)	
Up to Rs.50,000/-	1.75 % below BPLR	10.50 % P.A.
Above Rs.50,000/- & up to Rs.2 lacs	0.75 % below BPLR	11.50 % P.A.
Above Rs.2 lacs & but up to Rs.5 lacs	BPLR	12.25 % P.A.
Above Rs.5 lacs but up to Rs.25 lacs	0.75 % above BPLR	13.00 % P.A.

10-iv (c) SGSY INDIVIDUAL ACC

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25% P.A.)	
UP TO Rs. 50,000/-	1.50 % below BPLR	10.75 % P.A.
ABOVE RS. 50,000/- AND UP TO RS. 2 LACS	0.50 % below BPLR	11.75 % P.A.
ABOVE RS. 2 LACS BUT UP TO RS. 3 LACS	1.00 % above BPLR	13.25 % P.A.
ABOVE RS. 3 LACS BUT UP TO RS. 25.00 LACS	1.00 % above BPLR	13.25 % P.A.

10-iv (d) SGSY INDIVIDUAL TL (SSI)

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25% P.A.)	
	Up to Rs.50,000/-	1.25 % below BPLR
Above Rs.50,000/- & up to Rs.2 lacs	0.25 % below BPLR	12.00 % P.A.
Above Rs.2 lacs & but up to Rs.5 lacs	0.50 % above BPLR	12.75 % P.A.
Above Rs.5 lacs & below Rs.25 lacs	0.75 % above BPLR	13.00 % P.A.

10-iv (e) SGSY INDIVIDUAL TL (SBF)

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25% P.A.)	
	Up to Rs.50,000/-	1.25 % below BPLR
Above Rs.50,000/- & up to Rs.2 lacs	0.25 % below BPLR	12.00 % P.A.
Above Rs.2 lacs & but up to Rs.5 lacs	0.50 % above BPLR	12.75 % P.A.
Above Rs.5 lacs but up to Rs.25 lacs	1.50 % above BPLR	13.75 % P.A.

10-iv (f) SGSY INDIVIDUAL ATL

SIZE OF CREDIT LIMIT	RATE OF INTEREST (BPLR 12.25 % P.A.)	
	Up to Rs. 50,000/-	1.25 % below BPLR
Above Rs. 50,000/- and up to Rs. 2 lacs	0.50 % below BPLR	11.75 % P.A.
Above Rs. 2 lacs but up to Rs. 5 lacs	BPLR	12.25 % P.A.
Above Rs. 5 lacs but up to Rs. 25 lacs	1.50 % above BPLR	13.75 % P.A.

(11) TRACTOR LOANS

AS PER SCHEME CIRCULATED VIDE H.O. CIRCULAR NO. AGR/20 OF 2007-08 DT 06-10-2007, THERE IS DIFFERENTIAL INTEREST RATE STRUCTURE FOR FINANCING OF TRACTOR ACCORDING TO THE SCORING MODEL. THESE CONECSION WILL CONTINUE.

कृषि वित्त
कृषि ऋणों के लिए ब्याज दर की संरचना
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त के लिए
01.03.2010 से लागू

अल्प कालीन ऋण - (रु 25.00 लाख तक)

ऋण की राशि	ब्याज की संशोधित दर बीपी एलआर 12.25% (वार्षिक पर)
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 3.25% कम यानि 9.00% वार्षिक
रु 50000/- से ऊपर और रु 2.00 लाख तक	बीपीएलआर से 2.25% कम यानि 10.00% वार्षिक
रु 2.00 लाख से ऊपर और रु 3.00 लाख तक	बीपीएलआर से 1.50% कम यानि 10.75% वार्षिक
रु 3.00 लाख से ऊपर और रु 5.00 लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% कम यानि 11.75% वार्षिक
रु 5.00 लाख से ऊपर और रु 25.00 लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% अधिक यानि 12.75% वार्षिक

अल्प कालीन ऋण - (रु 25.00 लाख से ऊपर)

सीआरए रेटिंग (नया माडल)	ब्याज की संशोधित दर
एस बी 1-2	बी पी एल आर 12.25% (वार्षिक) पर
एस बी 3-5	बीपीएलआर यानि 12.25% वार्षिक
एस बी 6-7	बीपीएलआर से 0.75% अधिक यानि 13.00% वार्षिक
एस बी 8-16	बीपीएलआर से 1.25% अधिक यानि 13.50% वार्षिक

नोट :

- भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेशों के अनुसार, रु 3.00 लाख तक के फसल ऋणों/उत्पादन ऋणों के पात्र खातों में @7% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायेगा। यह इस शर्त के अधीन है कि भारत सरकार ऐसे ऋणों के लिए, बैंकों को 2% की दर से अनुदान प्रदान करेगी। अन्य सभी खतों में ऊपर दर्शाई हुई आम दरों से ब्याज लिया जायेगा। ऋणों की शीघ्रता से अदायगी करने वाले कृषकों को ब्याज की दर में 1% की अतिरिक्त रियायत दी जायेगी।
- तथापि, रु 25.00 लाख से ऊपर राशि के प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेने वाले एकल कृषकों के विषय में क्रेडिट रेटिंग करवाने की शर्त से छूट दे दी गई है। इन ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज की प्रस्तावित दर बी पी एल आर से 0.50% आधिक (यानि 12.75% वार्षिक) होगी।

कृषि मियादी ऋण

ए टी एल - (राशि रु 25.00 लाख तक)

ऋण की राशि	ब्याज की संशोधित दर बी पी एल आर 12.25% (वार्षिक)
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.75% कम यानि 10.50% वार्षिक
रु 50000/- से ऊपर और रु 2.00 लाख तक	बीपीएलआर से 0.75% कम यानि 11.50% वार्षिक
रु 2.00 लाख से ऊपर और रु 5.00 लाख तक	बीपीएलआर यानि 12.25% वार्षिक
रु 5.00 लाख से ऊपर और रु 25.00 लाख तक	बीपीएलआर से 1.00% अधिक यानि 13.25% वार्षिक

एटीएल (राशि रु 25.00 लाख से ऊपर)

सीआरए रेटिंग (नया माडल)	ब्याज की संशोधित दर बी पी एल आर 12.25% (वार्षिक) पर
एस बी 1-2	बीपीएलआर से 0.50% अधिक यानि 12.75% वार्षिक
एस बी 3-5	बीपीएलआर से 1.25% अधिक यानि 13.50% वार्षिक
एस बी 6-7	बीपीएलआर से 1.75% अधिक यानि 14.00% वार्षिक
एस बी 8-16	बीपीएलआर से 2.00% अधिक यानि 14.25% वार्षिक

तथापि, रु 25.00 लाख से ऊपर राशि के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम लेने वाले एकल कृषकों के लिए क्रेडिट रेटिंग के नियमों से छूट दी गई है। इन कृषकों के लिए ब्याज की प्रस्तावित दर बी पी एल आर से 0.75% आधिक यानि (13.00% वार्षिक) है।

(बी) विशेष योजनाओं के अधीन दरें

2.*नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन लि. (एनबीएचसी) द्वारा जारी की जाने वाली वेयर हाउस रसीदों के एवज में ऋण एनबीएचसी द्वारा जारी की गई रसीदों के एवज में प्राथमिकता क्षेत्र (अर्थात् कृषि प्रखंड के अंतर्गत*) मंजूर किये गये ऋण :

ऋण राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25 % वार्षिक)
< = 5 करोड़	न्यूनतम 12.40% वार्षिक
> 5 करोड़	न्यूनतम 12.20% वार्षिक

एनबीएचसी द्वारा जारी की गई नई वेयरहाउस रसीदों के एवज में सभी वर्तमान और नये ऋणकर्ताओं को 31.03.2010 तक मंजूर किए जाने वाले ऋण, प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या एडीवी/एजीआर/73 दिनांक 15.01.2010 के अनुसार, ब्याज की रियायती दर के लिए पात्र होंगे।

2. (ए) मिल्कफेड पंजाब एवं हरियाणा डेयरी डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि. हरियाणा के साथ टाइ-अप व्यवस्था के अधीन मंजूर किए गये ऋण

ऋण की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
	रु 50000/- तक के ऋणों के लिए	बीपीएलआर से 2.50% कम
रु 50000/- से ऊपर और रु 2.00 लाख तक के ऋण	बीपीएलआर से 2.00% कम	10.25% वार्षिक

2. (बी) केवल पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना के अधीन दो पशुओं वाली डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए ऋण

ऋण की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक के ऋणों के लिए	बीपीएलआर से 2.00% कम	10.25% वार्षिक

(3) कमर्शियल डेयरी इकाइयों के लिए ऋण*

ऋण की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
	कार्यशील पूंजी (सीरसी)	बीपीएलआर से 2.00% कम
मियादी ऋण (डी एल)	बीपीएलआर से 2.00% कम	10.25% वार्षिक

*नियमित अदायगी करने के लिए केवल मियादी ऋणों में ही वार्षिक आधार पर, हर वित्तीय वर्ष के अंत में उन कृषकों को जिनकी ऋण की अदायगी वर्ष के दौरान नियमित होती रही है, 1.00% की अतिरिक्त रियायत दी जायेगी। यदि ऋण की अवधि के दौरान कोई चूक हो जाती है तो पहले दी गई रियायत वापस ले ली जायेगी और भविष्य में कोई रियायत नहीं दी जायेगी।

4. सन्निधियों की खेती के लिए नेट हाउस - केवल पंजाब राज्य में लागू

ऋण की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/-	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक
रु 50000/- से ऊपर और रु 00.90 लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% कम	11.75% वार्षिक

5. ऋण बदली (डैब्ट स्वैप) योजना के अधीन अग्रिम

ऋण की किस्म	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
मियादी ऋण अधिकतम रु 50000/-	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक

6. भारत सरकार की योजनाएं :

6(i) शीत भंडारों और बागवानी उत्पादन के भंडारण के लिए भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश अनुदान योजना (सी आई एस एस)

ऋण की किस्म	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 2.00 लाख तक	बीपीएलआर	12.25% वार्षिक
रु 2.00 लाख से ऊपर	बीपीएलआर से 1% अधिक	13.25% वार्षिक

6(ii) कृषि विपणन संरचनाओं, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) और मानकीकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय खंड की योजना (यह योजना प्रधान कार्यालय के परिपत्र एडीवी/एजीआर/40 वर्ष 2008-09 दिनांक 06.12.2008 द्वारा परिचालित की गई है)

ऋण की किस्म	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
मियादी ऋण	बीपीएलआर	12.25% वार्षिक

7. कृषि में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं (इनपुट्स) उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों को अप्रत्यक्ष कृषि ऋण :

7(i) रु 25.00 लाख तक की वित्त सीमाएं

ऋण की किस्म	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
नकद उधार (कैश क्रेडिट)	बीपीएलआर से 2.25% कम	10.00% वार्षिक
मियादी ऋण	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक

7(ii) कार्यशील पूंजी/नकद उधार सीमाएं रु 25.00 लाख से ऊपर

रेटिंग	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
एस बी 1	बीपीएलआर से 2.75% कम	9.50% वार्षिक
एस बी 2	बीपीएलआर से 2.00% कम	10.25% वार्षिक
एस बी 3	बीपीएलआर से 1.50% कम	10.75% वार्षिक
एस बी 4 से 16	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक

7(iii) रु 25.00 लाख से ऊपर मियादी ऋण (क्रेडिट रेटिंग पर आधारित)

रेटिंग	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
एस बी टी एल 1	बीपीएलआर से 2.25% कम	10.00% वार्षिक
एस बी टी एल 2	बीपीएलआर से 1.50% कम	10.75% वार्षिक
एस बी टी एल 3	बीपीएलआर से 1.00% कम	11.25% वार्षिक
एस बी टी एल 4 से 16	बीपीएलआर से 0.75% कम	11.50% वार्षिक

8 कमीशन एजेंटों/आढ़तियों को उनके बही ऋणों/आढ़त के एवज में वित्तपोषण की योजना

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 2.00 लाख तक	बीपीएलआर से 1.00% कम	11.25% वार्षिक
रु 2.00 लाख से ऊपर और रु 25.00 लाख	बीपीएलआर	12.25% वार्षिक

9 प्राइमरी कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस)/कृषक सेवा समिति (एफएसएस)/ वृहद आकार आदिवासी/कृषि बहुउद्देश्यी समिति (लैम्स) के माध्यम से दिए गये अप्रत्यक्ष ऋण :

9(i) अल्प कालीन ऋण

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 25000/- तक	7.00% वार्षिक	
रु 25000/-से ऊपर और रु 3 लाख तक	7.00% वार्षिक	
रु 3 लाख से उपर	*10.25% वार्षिक (बीपीएलआर से 2.00% कम)	

टाइर प्रणाली (i) रु 3.00 लाख तक 7.00% वार्षिक

(ii) रु 3 लाख से ऊपर : 10.25% वार्षिक

(बीपीएलआर से 2.00% कम)

पीएसीएस/एफएसएस/लैम्स के माध्यम से दिए गये अप्रत्यक्ष ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लक्षित ऋणकर्ता से, पीएसीएस/एफएसएस/लैम्स द्वारा ली जा रही ब्याज की दर 7.00% वार्षिक से अधिक नहीं है। इस लिए, यदि कोई पीएसीएस/एफएसएस/लैम्स कृषक से 7.00% वार्षिक की दर से ही ब्याज लेने के लिए सहमत नहीं होती या किसी अन्य दृष्टि से भारत सरकार की ब्याज अनुदान की योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है जैसे कि यदि खाता अतिदेय हो गया हो, तो शाखाओं को ब्याज की आम दरों से (अर्थात् बी पी एल आर से 2.00% कम वर्तमान में प्रभावी दर 10.25% वार्षिक) ब्याज लेना चाहिए

9(ii) ए टी एल

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 25000/- तक	बीपीएलआर से 2.75% कम	9.50% वार्षिक
रु 25000/- से ऊपर और रु 2.00 लाख तक	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक
रु 2 लाख से अधिक	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक

10 स्वयं सहायता समूहों को ऋण (एसएचजीज)
10(i) (गैर-एसजीएसवाई/साधारण/नाबार्ड योजना एसएचजीज)

योजना	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)
टी एल (एसएचजी) एसएसआई	<ul style="list-style-type: none"> • रु 2.00 लाख तक बीपीएलआर से 4% कम यानि 8.25% वार्षिक • रु 2.00 लाख से ऊपर बीपीएलआर पर यानि 12.25% वार्षिक
टी एल (एसएचजी) अप्रत्यक्ष	
टी एल (एसएचजी) एस बी एफ	
ए टी एल (एसएचजी) प्रत्यक्ष	
ए टी एल (एसएचजी) अप्रत्यक्ष	
ए सी सी (एसएचजी)	
सी सी (एसएचजी) एस एस आई	
सी सी (एसएचजी) एस बी एफ	
एस एच जी क्रेडिट कार्ड	
टी एल एस एच जी एस बी एफ	
एस एच जी गोल्ड कार्ड	
जे एल जी एसीसी	
जे एल जी ए टी एल	

10(ii) एसजीएसवाई (एसएचजी के लिए)

योजना	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)
सी सी- एसएसआई	<ul style="list-style-type: none"> • रु 2.00 लाख तक बीपीएलआर से 4% कम यानि 8.25% वार्षिक • रु 2.00 लाख से ऊपर बीपीएलआर पर यानि 12.25% वार्षिक
सी सी - एस बी एफ	
ए सी सी	
टी एल एस एस आई	
टी एल - एसबीएफ	
ए टी एल	

नोट : केवल एसजीएसवाई के अधीन ही समूह ऋणों पर ब्याज की दर प्रति व्यक्ति ऋण की राशि से सहबद्ध है। प्रति व्यक्ति ऋण की राशि की गणना करने के लिए समूह द्वारा लिए गये ऋण की कुल राशि को समूह के सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जायेगा।

10(iii)

वर्ग	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
एन जी ओ ज/एम सी ओ ज/स्वैच्छिक एजेंसियों के रु 25000/- तक के अप्रत्यक्ष ऋण	बीपीएलआर से 2.75% कम	09.50% वार्षिक
एन जी ओ ज/एम सी ओ ज/स्वैच्छिक एजेंसियों के रु 25000/- से ऊपर के अप्रत्यक्ष ऋण	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक

10(iv) एसजीएसवाई एकल

10(iv)(ए) एसजीएसवाई एकल - सी सी (एस एस आई)

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक
रु 50000/-से ऊपर और रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.75% कम	11.50% वार्षिक
रु 2 लाख से ऊपर परन्तु रु 5 लाख तक	बी पी एल आर	12.25% वार्षिक
रु 5 लाख से ऊपर एवं रु 25 लाख से कम	बीपीएलआर से 0.25% उपर	12.50% वार्षिक

10(iv)(बी)एसजीएसवाई एकल - सी सी (एस बी एफ)

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.75% कम	10.50% वार्षिक
रु 50000/-से ऊपर एवं रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.75% कम	11.50% वार्षिक
रु 2 लाख से ऊपर एवं रु 5 लाख तक	बी पी एल आर	12.25% वार्षिक
रु 5 लाख से ऊपर परन्तु रु25 लाख तक	बीपीएलआर से 0.75% अधिक	13.00% वार्षिक

10(iv)(सी) एसजीएसवाई एकल - ए सी सी

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.50% कम	10.75% वार्षिक
रु 50000/-से ऊपर एवं रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% कम	11.75% वार्षिक
रु 2 लाख से ऊपर एवं रु 3 लाख तक	बीपीएलआर से 1.00% अधिक	13.25% वार्षिक
रु 3 लाख से ऊपर परन्तु रु 25 लाख तक	बीपीएलआर से 1.00% अधिक	13.25% वार्षिक

10(iv)(डी) एसजीएसवाई एकल टी एल (एस एस आई)

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक
रु 50000/- एवं रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.25% कम	12.00% वार्षिक
रु 2 लाख से अधिक एवं रु 5 लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% अधिक	12.75% वार्षिक
रु 5 लाख से अधिक परन्तु रु 25 लाख से कम	बीपीएलआर से 0.75% अधिक	13.00% वार्षिक

10(iv)(ई) एसजीएसवाई एकल टी एल (एस बी एफ)

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक
रु 50000/- एवं रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.25% कम	12.00% वार्षिक
रु 2 लाख से अधिक एवं रु 5 लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% अधिक	12.75% वार्षिक
रु 5 लाख से ऊपर परन्तु रु 25 लाख तक	बीपीएलआर से 1.50% अधिक	13.75% वार्षिक

10(iv)(एफ) एसजीएसवाई एकल ए टी एल

वित्त सीमा की राशि	ब्याज की दर (बीपीएलआर 12.25% वार्षिक)	
रु 50000/- तक	बीपीएलआर से 1.25% कम	11.00% वार्षिक
रु 50000/- से ऊपर और रु 2लाख तक	बीपीएलआर से 0.50% कम	11.75% वार्षिक
रु 2 लाख से ऊपर परन्तु रु 5 लाख तक	बीपीएलआर	12.25% वार्षिक
रु 5 लाख से ऊपर परन्तु रु 25 लाख तक	बीपीएलआर से 1.50% अधिक	13.75% वार्षिक

11 ट्रेक्टर ऋण

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या : ए जी आर/20 वर्ष 2007-08 दिनांक 06.10.2007 द्वारा परिचालित योजना के अनुसार, स्कोरिंग माडल के अनुसार ट्रेक्टरों का वित्तपोषण करने के लिए विभेदक ब्याज दर संरचना है। यह रियायतें चलती रहेंगी।